अनुसूची १४—फारम सं0—४६२

आदे ।—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0..से..तक

जिला..........................., सं0..........................., सन् १६...........................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

अपील वाद संख्याः 334 / 2012

मदन पासवान —— अपीलार्थी

वनाम

श्यामा देवी —— रेस्पाण्डेन्ट

—:आदेशः—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा के द्वारा पारित आदेश दिनांकः 25.05.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 70 / 2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया ।

प्रस्तुत अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि प्रस्तुत अपील वाद के रेस्पोण्डेन्ट श्यामा देवी पति इन्द्रदेव पासवान द्वारा गलत वो मनगढंत कथनों के आधार पर बासगीत पर्चा निर्गत करने हेतु एक आवेदन आयुक्त महोदय के समक्ष जनता दरबार में दाखिल किया गया जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त महोदय द्वारा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा को भेजा गया वो श्यामा देवी द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर श्रीमान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, की धारा 13(2) के अन्तर्गत वाद संख्याः 70 / 2012 दर्ज कर उभय पक्षों को वास्ते उपस्थिति वो अपना पक्ष रखने हेतु सम्मन नोटिस निर्गत किय गया वो उभय पक्ष नोटिश प्राप्ति के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित होकर अपने–अपने दावे के समर्थन में अपना–अपना सबूत दाखिल किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपील आवेदन के माध्यम से यह कथन करते हैं कि वाद संख्याः 70 / 2012 के आवेदिका जो प्रस्तुत अपील वाद में रेस्पोण्डेन्ट हैं का दावा है कि मौजाः पड़वा थाना+अंचलः–मुरलीगंज, जिलाः मधेपुरा में अवस्थित खाता नयाः 768 खेसरा नयाः 3075 रकवाः 13 डीसमल में मेरा आवासीय घर एवं इंदिरा आवास का मकान बना हुआ है जिसमें मैं सपरिवार तथा बाल–बच्चे के साथ रह रहा हूँ एवं इस भूमि के अलावा मुझे वास की दूसरी जमीन नहीं है। भूस्वामी मदन पासवान पिताः स्व० कलर पासवान ने बी०टी० एक्ट की धारा–106 के अन्तर्गत डिक्री प्राप्त

कर तरमीम कराकर लगान रसीद भी कटा लिए हैं जिसमें मेरा मकान है ।

रेस्पोण्डेन्ट–आवेदिका द्वारा निम्न न्यायालय में अपने उपरोक्त दावे के समर्थन में श्यामा देवी पतिः इन्द्रदेव पासवान का वोटर लिस्ट की छायाप्रति एवं पहचान पत्र दाखिल किया गया वो उक्त कागजात के आधार पर अपने नाम बासगीत पर्चा निर्गत करने हेतु निवेदन करना बतलाया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपील आवेदन के माध्यम से यह भी कथन करते हैं कि विपक्षी का कथन वो दावा है कि मौजाः पड़वा, थाना+अंचलः मधेपुरा हालः मुरलीगंज थाना नंः 187 जिलाः भागलपुर हाल मधेपुरा में अवस्थित केडेस्ट्रल हाल सर्वे खतियान खाता संख्याः 183, खेसरा पुरानाः 2352, रकवाः 01 एकड़ 32 डीसमल गैर मजरूआ खास दर्ज है, जो भूतपूर्व जमीन्दार की खास एराजी थी जिसपर उनका दखल कब्जा खास रूप से कायम था। उपरोक्त खाता, खेसरा की एराजी अपीलार्थी के पिता कलर हजरा उर्फ कलर पासवान पिताः कुंजी हजरा ने भूतपूर्व मालीक जमीन्दार से अनकरीब 1945 ई० बजरिये बंदोबस्ती से मवाजी 13 कट्ठा एराजी हासिल किया वो उक्त एराजी भूमि पर हकदार एवं दखलकार हुए वो ताजिंदगी रहे। बाद स्वर्गीय होने कलर हाजरा उनके पुत्र मदन पासवान अपीलार्थी उक्त बंदोबस्ती से हासिल एराजी पर दखलकार वो हकदार हुए। अभी भी बिक्री के पश्चात बची एराजी पर हकदार वो दखलकार हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि बाद उन्मुलन जमींदारी भूतपूर्व जमींदार ने खाता पुरानाः 183, खेसरा पुरानाः 2352 रकवाः 13 कट्ठा के निश्वत शेष भेल्युवेशन रिर्टन वसन् 1941–42 वो फाईनल रिर्टन भी नाम से कलर हजरा पिताः कुंजी हजरा के नाम से उक्त भूमि के रैयत के रूप में दाखिल किया वो बादहूँ व सिरिस्ते बिहार सरकार के राजस्व सिरिस्ते में उपरोक्त खाता खेसरा के निश्वत जमाबंदी नाम से कलर हजरा पिताः कुंजी हजरा कायम कर रजिस्टर दो में जमाबंदी संख्याः 205 मवाजी 13 कट्ठा दर्ज हुआ। वो कलर हजरा उक्त भूमि के निश्वत राजस्व सिरिस्ते में मालगुजारी अदाय कर रसीद रेन्ट बिल हासिल करते आए वो पूर्व की भांति उपरोक्त भूमि पर शांतिपूर्वक ढंग से हकदार वो दखलकार रहे।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी अनपढ़ व्यक्ति हैं इस वजह से हाल सर्वे कार्यवाई के समय अपने हकियत स्वामित्व दखल कब्जे की भूमि का अपने नाम से सर्वे खतियान दर्ज नहीं करवा सके। वो इसी वजह से सर्वे अमला गण द्वारा खाता पुरानाः 183, खेसरा पुरानाः 2352 से हाल सर्वे में बने खेसरा नयाः 3075, रकवाः 48 डीसमल जो अपीलार्थी के हकियत स्वामित्व एवं दखल कब्जे की भूमि है का हाल सर्वे खतियान सर्वे अमला के भूल वश खाता नंः 768 नाम से अनाबाद बिहार सरकार दर्ज हो गया जो बिल्कुल गलत है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि जानकारी होने पर अपीलार्थी विपक्षी बी०टी०एक्ट की दफाः 106 अन्तर्गत वाद संख्याः 7815/1979 में मध्यवर्ती पक्षकार हेतु आवेदन दाखिल किया वो मंजूर होने के पश्चात सुनवाई के दौरान दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दाखिल किया गया जबकि विपक्षी बिहार सरकार द्वारा मनोनित ए०.जी०.पी०. द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उभय पक्षो के बहस एवं मौजूदा साक्ष्य वो सबूत से संतुष्ट होकर राजस्व पदाधिकारी द्वारा खेसरा नयाः 3075, रकवाः 48 डीसमल के निश्वत हाल खतियान खाता नंः 768 नाम से अनाबाद बिहार सरकार रद्द कर अपीलार्थी मदन पासवान पिताः स्व० कलर पासवान कायम कर जजमेन्ट डिक्री पारित किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी नासमझ थे इस वजह से पिता के मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि के निश्वत मालगुजारी अदाय कर रसीद रेन्ट बिल हासिल नहीं कर सके वो जब उक्त भूमि के निश्वत हाल खतियान में सुधार करवाये तब अंचल कार्यालय मुरलीगंज में अपने पक्ष में पारित डिक्री प्रस्तुत किये वो पुनः अंचल अमला गण द्वारा पूर्ण जॉचोपरांत खेसरा नयाः 3075, रकवाः 48 डी० के निश्वत नया

जमाबंदी संख्याः 1523 नाम से मदन पासवान अपीलार्थी पिताः स्व० कलर पासवान कायम किया गया वो मालगुजारी अदाय कर रेन्ट बिल हासिल करते चले आए वो पूर्व की भाँति उक्त एराजी पर शांतिपूर्वक ढंग से हकदार वो दखलकार रहते चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि खेसराः 3075 में से मवाजी 13.100 डीसमल भूमि दिनांकः 11.10.2011 बजरिये रजिस्टर्ड केवाला डीड नं० 9440 पक्ष में श्री कपिलदेव कुमार पासवान पिताः स्व० गणेश पासवान वो दिनांकः 02.01.2012 को बजरिये रजिस्टर्ड केवाला डीड नं०: 17 पक्ष में श्रीमति नूतन देवी पतिः श्री कपिलदेव पासवान मवाजी 6.550 डीसमल वो भी दिनांकः 02.01.2012 को बजरिये रजिस्टर्ड केवाला डीड नं० 12 पक्ष में श्री पप्पू कूमार पिताः स्व० गणेश पासवान मवाजी 04 कट्ठ 10 धूर उचित जरसम्मन अदाय पाकर बिक्री किया वो उक्त बिक्री सुदा एराजी पर खरीदार खरीदगी तिथि से हकदार वो दखलकार चले आ रहे हैं वो उक्त बिक्री सुदा एराजी से अब अपीलार्थी को कोई मतलब वो सरोकार नहीं रहा।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि तीनों खरीदार बाद खरीदगी बिहार सरकार के राजस्व सिरिस्ते में अपने अपने नाम जमाबंदी एवं जमाबंदी नं०: 1591 नाम से कपिलदेव कुमार पिताः स्व० गणेश पासवान मवाजी 13.100 डीसमल जमाबंदी संख्याः 1587 नाम से श्रीमति नूतन देवी पतिः श्री कपिलदेव पासवान, मवाजी 6.5 डीसमल वो भी जमाबंदी नं०: 1589 मवाजी 19.5 डीसमल नाम से पप्पू कूमार पासवान पिताः स्व० गणेश पासवान कायम करवाकर वो उक्त जमाबंदी में दर्ज भूमि के निश्वत मालगुजार अदाय कर रसीद रेन्ट बिल हासिल करते चले आ रहे हैं। वो उक्त जमाबंदी में दर्ज भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से हकदार वो दखलकार चले आ रहे हैं वो अभी भी हैं। एराजी खेसरा संख्याः 3075 रकवाः 48 डीसमल में से कुल मवाजी 39 डीसमल के बिक्री के पश्चात मात्र 09 डीसमल भूमि पर अपीलार्थी विपक्षी का हकियत एवं दखल कायम है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी विपक्षी द्वारा उपरोक्त कथन वो सबूत हेतु सभी टाईटिल वो राजस्व कागजात निम्न न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया परंतु निम्न न्यायालय द्वारा सभी सबूत वो कागजात को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोण्डेन्ट आवेदिका के पक्ष में बिना किसी वैधानिक आधार आदेश पारित किया गया जो सर्वथा रद्द करने योग्य है।

रेस्पोन्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस/लिखित बहस के माध्यम से कथन करते हैं कि प्रस्तुत अपील विज्ञ उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार मधेपुरा द्वारा भूमि विवाद वाद नम्बर– 70/2012 में पारित आदेश दिनांक 25.5.2012 के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 25.08.2012 को इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में विवादी जमीन मौजा पड़वा, थाना नम्बर–186, थाना वो अंचल मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा के हाल सरवे खाता 768, हाल सरवे खेसरा 3075 के अंश रकवा 13 डीसमल से सम्बन्धित है तथा जिसका निर्माण सावेक सरवे खेसरा 2352 से हुआ है जो सावेक सरवे खाता 183 की एराजी है तथा सावेक सरवे खेसरा 2352 का सावेक सरवे खतियान के गुतावेक रकवा 1.32 एकड़ है, साथ ही सावेक सरवे खाता नम्बर–183 सावेक सरवे खतियान गैर मजरूआ खास के रूप में इन्द्राज था, जिस पर भूतपूर्व जमीनदार का स्वामित्व वो अधिपत्य चला आ रहा था ।

रेस्पोन्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपीलकर्त्ता का संक्षेप में दावा है कि उनके पिता ने सावेक सरवे खेसरा में 13 कट्ठा जमीन बजरिये वन्दोवस्ती के द्वारा वर्ष 1945 ई. में भूतपूर्व जमींदार से हासिल किया तथा वे दखलकार हुए वो जमाबन्दी उनके नाम कायम हुआ वो शेष रिभेल्यूशन रिटर्न भी उनके नाम वन्दोवस्त ली गयी जमीन का जमीनदार द्वारा दाखिल किया गया । अपीलकर्त्ता का पुनः दावा है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत वाद संख्या –7815/1979

के द्वारा राजस्व पदाधिकारी सर्वे, मधेपुरा का आदेश विवादी हाल खेसरा 3075 के सम्पूर्ण रकवा 48 डीसमल के निश्वत उनके पक्ष में हुआ। उनका यह भी केश है कि विवादी खेसरा 3075 के कुल रकवा 48 डीसमल में से 39 डीसमल जमीन को उनके द्वारा वजरिये भिन्न भिन्न केवाला दस्तावेज के द्वारा वर्ष 2011 ई0 एवं 2012 ई0 में दिगर दिगर लोगों के हाथ बिक्री किया गया है तथा क्रेतागण दखलकार है । उनका पुनः दावा है कि रेस्पोन्डेन्ट श्यामा देवी की ओर से विज्ञ उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार के न्यायालय में हाल विवादी खेसरा 3075 के अंश रकवा 13 डीसमल के निश्वत भूमि विवाद वाद नम्बर–70/2012 दायर किया गया तथा निम्न न्यायालय के द्वारा उनके कागजी प्रमाण को नजर अंदाज करते हुए आदेश रेस्पोन्डेन्ट श्यामा देवी के पक्ष में पारित किया गया । इस प्रकार अपीलकर्त्ता की ओर से निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को गलत बतलाते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

आगे यह भी कथन करते हैं कि दूसरी तरफ रेस्पोन्डेन्ट श्यामा देवी का संक्षेप में केस है कि भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा साविक खेसरा 2352 के सम्पूर्ण रकवा अथवा अंश रकवा को अपीलकर्त्ता के पिता के पक्ष में कभी भी वन्दोवस्ती नहीं किया गया, बल्कि साविक खेसरा 2352 की कुल एराजी भूतपूर्व जमीनदार के अधीनस्थ रहती आयी तथा जमीन्दारी उनमूलन के बाद उक्त विवादी साविक सरवे खेसरा बिहार सरकार में भेरट कर गया वो तब से आज तक वह बिहार सरकार के सानिध्य में चला आ रहा है । रेस्पोन्डेन्ट का पुनः केस है कि साविक सरवे खेसरा 2352 के अंश से हाल सरवे खेसरा 3075 रकवा 48 डीसमल का निर्माण हुआ तथा खाता अनाबाद बिहार सरकार के नाम सही –सही इन्दराज हुआ । रेस्पोन्डेन्ट श्यामा देवी का यह भी केस है कि विवादी हाल सरवे खेसरा 3075 के अंश रकवा 13 डीसमल पर उनका आवासीय मकान एवं इन्दिरा आवास बहुत पूर्व से बना हुआ है जिसमें वे शान्तिपूर्ण रूप से अपने परिवार सहित रहती चली आ रही है । उनके नाम इन्दिरा आवास का आवंटन सरकार द्वारा की गयी है । उनका यह भी केस है कि उन्हें विवादी हाल खेसरा 3075 के अंश रकवा 13 डीसमल जमीन के अतिरिक्त वसोवास की अन्य कोई जमीन नहीं है । रेस्पोन्डेन्ट का यह भी केस है कि हाल विवादी खेसरा 3075 के अंश रकवा 6.1/2 डीसमल जमीन पर कृत्यानन्द पासवान, पिता– बलदेव पासवान का आवासीय मकान एवं इन्दिरा आवास बहुत पूर्व से अवस्थित है । जहाँ वे अपने परिवार सहित रहते चले आ रहे हैं वो दखलकार है । इसी प्रकार विवादी हाल खेसरा 3075 के अंश रकवा 4 कट्ठा 10 धूर जमीन पर विद्यानन्द पासवान एवं उनके लड़के का आवासीय मकान एवं इन्दिरा आवास बहुत पूर्व से अवस्थित है जहाँ वे अपने–अपने परिवार सहित निवास करते चलें आ रहे हैं। रेस्पोन्डेन्ट का पुनः केस है कि जब उनको पता चला कि उनके आवासीय मकान एवं इन्दिरा आवास वाली जमीन का खता गलत रूप से सरवे में अपीलकर्त्ता, द्वारा खोलवाया गया है तब रेस्पोन्डेन्ट एवं अन्य के द्वारा माननीय आयुक्त महोदय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के जनता दरबार में इस सन्दर्भ का आवेदन दायर किया गया तथा माननीय आयुक्त महोदय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा उक्त आवेदन पर सुनवाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उप– समाहर्त्ता, भूमि सुधार मधेपुरा के पास भेजा गया । विज्ञ उप समाहर्त्ता भूमि सुधार , मधेपुरा के न्यायालय में उक्त आवेदन को भूमि विवाद वाद नम्बर–70/2012 के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए पक्षकारों के बीच सुनवाई की गयी तथा आदेश वर्त्तमान रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में पारित किया गया ।

रेस्पोन्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा विज्ञ उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, मधेपुरा द्वारा भूमि विवाद नम्बर–70/2012 में पारित आदेश के संवैधानिक बतलाते हुए वर्तमान

अपीलवाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है ।

रेस्पोन्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1945 ई0 की बन्दोबस्ती के आधार पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि वर्ष 1964–65 ई0 में रिभिजनल सरवे की प्रकिया प्रारम्भ हुई तथा उस वक्त अपीलकर्त्ता का दखल विवादी खेसरा पर नहीं पाया गया वो यही कारण है कि विवादी खेसरा का खाता हाल सरवे के प्रारम्भिक स्टेज में अनावाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज हुआ क्योंकि सरवे में दखल कब्जा के आधार पर खाता इन्द्राज होता है। साथ ही अपीलकर्त्ता के द्वारा सरवे के किसी स्टेज पर विवादी खेसरा के निश्वत आपत्ति दायर नहीं किया गया वो यही कारण है कि विवादी खेसरा के खतियान का अंतिम प्रकाशन भी अनावाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज हुआ। इतना हीं नहीं बल्कि खतियान के अंतिम प्रकाशन के उपरान्त भी 90 दिनों के अन्दर बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत सूट दायर करने का प्रावधान कानून में दिया गया है जो अपीलकर्त्ता द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार यह साबित हो जाता है कि वर्ष 1945 ई0 से आज तक अपीलकर्ता विवादी जमीन पर कभी भी दखलकार नहीं हुए है। दूसरी तरफ रेस्पोण्डेन्ट के साथ साथ दिगर दिगर लोगों का विवादी खेसरा पर आवासीय मकान इन्दिरा आवास बहुत पूर्व से अवस्थित है जहॉ वे लोग अपने अपने परिवार सहित निवास करते चले आ रहे हैं क्योंकि रेस्पोण्डेन्ट एवं अन्य के पास बसोवास की दूसरी जमीन नहीं है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपील के पारा नं0 –:5 क पेज नं0 –4 में अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 1945 ई0 को बन्दोबस्ती के विषय में कहा गया तथा परा 5ख पेज–4 में शेष रिभेल्युशन रिटर्न का कहानी अपीलकर्त्ता द्वारा कही गयी है जो अपने आप में विराधाभास है क्योंकि जमीन्दार द्वारा वर्ष 1941–42 ई0 में शेष रिभेल्युशन रिटर्न दाखिल किया गया था जबकि उनकी बन्दोबस्ती 1945 ई0 में लेने की कहानी कही गयी है। यानी 1941–42 ई0 में अपीलकर्त्ता के पिता का विवादी खेसरा पर जन्म भी नहीं हुआ था तो उनके नाम शेष रिभेल्युशन रिटर्न दाखिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपील के पारा –5 ग, पेज–4 में अपीलकर्त्ता द्वारा कहा गया है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा –106 के अन्तर्गत सूट नम्बर–7815/79 के द्वारा उनके पक्ष में आदेश विवादी खेसरा के निश्वत पारित हुआ है। सूट नं0 7815/79 एक अन्य आदमी के द्वारा बिहार सरकार के विरूद्ध दायर किया गया था तथा उस सूट में हाल सरवे खेसरा नम्बर 3075 विवाद का विषय नहीं था। जबकि सूट की सुनवाई सरवे न्यायालय में प्रारम्भ हुई तब ये अपीलकर्त्ता एक आवेदन दायर कर उक्त सूट में मध्यवर्ती वादी बनकर हाल सरवे खेसरा 3075 को सूट में जोड़कर आदेश अपने नाम हासिल कर लिये जो असंबैधानिक है, क्योंकि अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल मध्यवर्ती वादी बनने हेतु आवेदन सी0पी0सी0 की ऑडर–1 रूल 10 –(III) के दायरे में नहीं आता था। साथ ही उक्त आदेश से रेस्पोण्डेन्ट प्रभावित नहीं होता है क्योंकि उक्त सूट में वे पक्षकार नहीं थे।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि अपील के पारा –5 ड़ पेज नम्बर –6 में अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया है कि उन्होंने विवादी खेसरा 3075 में से 39 डीसमल जमीन कपिलदेव पासवान एवं अन्य द्वारा खरीद की गयी जमीन पर वे लोग कभी दखलकार नहीं हुए। अपीलकर्ता द्वारा बिकी की कही गयी बातें सिर्फ पेपर ट्रान्जेक्शन है जो

वास्तविकता से परे है। दूसरी तरफ रेस्पोण्डेन्ट एवं अन्य का विवादी खेसरा पर आवासीय मकान एवं इन्दिरा आवास बहुत पूर्व से अवस्थित है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि अपीलकर्त्ता द्वारा वर्तमान अपील अत्यन्त विलंब से दाखिल किया गया है क्योंकि निम्न न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 25.05.12 का है जबकि अपील उनके द्वारा दिनांक 25.08.12 को दायर किया गया है तथा विलम्ब का स्पष्ट कारण उनके द्वारा नहीं दर्शाया गया है जिस कारण उनका अपील वाद खारिज के योग्य है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओ को सुनने एवं अभिलेख का अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा